68

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1508—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18—03—2016 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कमांक 38/अपील/2014—15.

.....

1—धनवन्ती पुत्री रामनाथ पत्नी रामरक्षा वैश्य
निवासी चिनगी टोला तहसील सिंगरौली
जिला सिंगरौली म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—रूपौआ पुत्री रामनाथ जायसवाल पत्नी अंजनी कुमार वैश्य
2—धर्मराज तनय रामरक्ष वैश्य
3—ललन प्रसाद
4—मु0 हीरामती पत्नी छोटेलाल वैश्य
5—गुड़िया पुत्री छोटेलाल
6—कमलेश कुमारी पति मुकलाल प्रजापति
सभी निवासी चिनगी टोला तहसील सिंगरौली
जिला सिंगरौली म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री ओ0 पी0 शर्मा, श्री डी0 के0 पासी, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

आदेश

(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली तहसील व जिला सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—03—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका धनवंती द्वारा नायब तहसीलदार प्रभारी अमिलिया को म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अंतर्गत प्रस्तुत कर नामांतरण की मांग की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.7.04 को नांमांतरण आवेदन स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदक कमांक–1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली जिला सिंगरौली के न्यायालय में अपील आवेदन प्रस्तुत किया। अपील मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली द्वारा दिनांक 18.3.16 को धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया जिससे से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त अमिलिया तहसील सिंगरौली के राजस्व प्रकरण कमांक 204/अ–6/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2004 को निगराकार के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश की देरीना अपील अनावेदक कमांक–1 द्वारा 10 वर्ष के अत्यधिक विलंब से दिनांक 29.9.14 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत देरीना अपील को प्रथम दृष्ट्या सुनवाई कर ग्राह्य करते हुये आवेदक को सूचना पत्र प्रेषित किया जबकि अत्याधिक देरी से प्रस्तुत अपील को सुनवाई में ग्राह्य करने के पूर्व अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिये प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धरा–5 म्याद अधिनियम का निराकरण उभयपक्ष की उपस्थिति में करना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 11–11–2014 को बाद तारीख पर तारीख देते हुये प्रकरण को आगे बढ़ाते रहे। आपत्ति किये जाने पर दिनांक 18.3. 16 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक–1 के विलंब मांफी के आवेदन का निराकरण करते हुये आवेदन को स्वीकार कर अपील समय सीमा के अन्दर मान्य करने की भूल की है। इससे उक्त आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदक कमांक–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी होना 8.4.14 को बताया जिसकी साढ़े पांच माह बाद दिनांक 25.9.14 को नकल का आवदेन प्रस्तुत किया जिसकी नकल उसी दिन प्राप्त हो गयी तत्पश्चात् 29.9.14 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि

दिनांक 8.4.14 से 25.9.14 के बीच हुये विलंब के एक–एक दिन का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया कि जानकारी दिनांक से साढ़े पांच माह बाद नकल आवेदन क्यों प्रस्तुत किया गया। इन महत्व पूर्ण बिन्दुओं को दरकिनार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर आलोच्य आदेश पारित करने की भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदन की निगरानी स्वीकार की जावे तथा उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली का आदेश दिनांक 18.3.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलाधीन की जानकारी अनावेदक रूपौआ को तब हुई जब वह वसीयतनामा दिनांक 12.9.03 को दर्ज कराने के संबंध दिनांक 7.9.14 को हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि सभी भूमियों पर आपकी बहन धनमन्ती व उसके बच्चो का नाम हैं जो तहसील से बसीयत कराकर अपने नाम नामांतरण करये हैं। तहसील न्यायालय में पता किया तब जानकारी हुई कि बसीयतनामा दिनांक 15.7.99 के आधार पर नामांतरण आदेश हुआ है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.3.16 उचित होने से स्थिर रखा जावे। आवेदक की निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा धारा–5 काजबाब प्रस्तुत किया गयां आवेदक अनावेदक को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जानकारी नहीं थी अपने पिता रामनाथ वैश्य से पूछा गया तो बताया गया कि गुमराह कर धोखा देकर वसीयत कराया गया है जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से करने पर सही होना पाया गया। निर्णय दिनांक पारित किये जाने के पूर्व से ही रही है क्यों कि अनावदेक अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहा और बाद में वह अपना पक्ष समर्थन करना बंदकर दिया जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जिससे उसको विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी। अनावेदक का विलंब सदभाविक होने से अपील प्रस्तुत करने में किया गया विलंब क्षमा उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया है।

एवं धारा–5 म्याद अधिनियम 1963 की धारा–5 का आवेदन विलंब सदभावी होने से उनके द्वारा स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0 सी0 1353 से अनुसरित।** इससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 18.3.16 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के प्रकरण कमांक 38/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18–03–2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर